

24/1/22

वकील वादी द्वारा जाप पत्र पेश करने
पर न्यायद्वारा में पत्रावली पेश में ली।

वकील वादी / उभयपक्ष रूप०। वकील वादी ने प्रा०
पत्र पेश कर वाद को वि०/नोट प्रेस में खारिज
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल
रफ्तार हो।

रु